

12.00 Noon

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Question No. 91. Shri Vijaysai Reddy.

Merging of education schemes

*91. SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

- (a) whether the Ministry has decided to merge SSA, RMSA and Centrally Sponsored Scheme on Teacher Education under Samagra Shiksha Abhiyan;
- (b) if so, the reasons therefor;
- (c) whether it would lead to losing of jobs by people working on contractual basis and outsourcing under SSA, particularly in Andhra Pradesh where more than two hundred people would lose their jobs due to above merger; and
- (d) if so, in what way the Ministry would protect them?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Yes, Sir. In pursuance of the proposal of the Union Budget, 2018-19, to treat school education holistically without segmentation from pre-school to Class XII, the Department of School Education and Literacy has launched the Samagra Shiksha - an Integrated Scheme for School Education as a Centrally Sponsored Scheme with effect from the year 2018-19. This programme subsumes the three erstwhile Centrally Sponsored Schemes of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) and Teacher Education (TE).

Samagra Shiksha is, therefore, an overarching programme for the school education sector extending from pre-school to class XII and aims to ensure inclusive and equitable quality education at all levels of school education. It envisages the 'school' as a continuum from pre-school, primary, upper primary, secondary to senior secondary levels. The Scheme would lead to an optimal utilization of budgetary allocations and effective use of human resources and institutional structures created for the erstwhile Schemes.

An allocation of Rs 75,000 crore over the period 1st April, 2018 to 31st March, 2020 has been approved for the Scheme which is a 20% increase over the current allocations. Its main features, *inter alia*, are as follows:

- (i) Annual Grant of Rs. 5,000 to Rs. 20,000/- per school for strengthening of Libraries.
- (ii) Composite school grant increased from Rs. 14,500-50,000 to Rs. 25,000-1 Lakh and to be allocated on the basis of school enrolment.
- (iii) Annual Grant for sports equipments at the cost of Rs. 5000 for Primary Schools, Rs. 10,000 for upper primary schools and up to Rs. 25,000 for secondary and senior secondary schools.
- (iv) Allocation for Children with Special Needs (CwSN) increased from Rs. 3,000 to Rs. 3,500 per child per annum including a stipend of Rs. 200 per month for CWSN girls to be provided from Classes I to XII. - earlier it was only for classes IX to XII.
- (v) Allocation for uniforms enhanced from Rs. 400 to Rs. 600 per child per annum.
- (vi) Allocation for textbooks enhanced from Rs. 150/250 to Rs. 250/400 per child per annum.
- (vii) Upgradation of existing schools.
- (viii) Upgradation of Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBVs) from Class 6-8 to Class 6-12.
- (ix) Strengthening Teacher Education Institutions like SCERTs and DIETs to improve the quality of teachers with SCERT as the nodal institution for in-service and pre-service teacher training.
- (x) Enhanced use of digital technology in education through smart classrooms, digital boards and DTH channels.

As the Scheme expands support for school education at pre-school and senior secondary levels, it provides for additional job opportunities for teachers, part-time teachers, support staff in schools, resource persons for academic support to teachers, teacher educators and administrative personnel. Further, the matters related to requirement of manpower to administer the Schemes, recruitment and the terms and conditions of service fall within the purview of the States and Union Territories.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Mr. Chairman, Sir, Sarva Shiksha Abhiyan, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan and Scheme for Reorganisation of Teachers Education have been merged into Samagra Shiksha Abhiyan. Majority of those who have been working

for these three schemes — SSA, RMSA and SRTE — were on contract basis. But, under the new Samagra Shiksha Abhiyan they have not been accommodated. Since majority of those who were working under those schemes are not accommodated under the new Scheme, they are becoming jobless.

So, I would like to know from the hon. Minister whether any protection mechanism has been worked out for accommodating them in the new scheme. If not, how the Ministry is going to protect them?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Hon. Chairman, Sir, this is a new issue which he has raised and I am thankful to him for that. I will definitely review whether some people are getting out of job due to this merger. I don't think so, because this is a merger of schemes and not dismantling of schemes. उसका नाम 'समग्र शिक्षा' है, यही नाम है। वह इसलिए है कि पहले सर्वशिक्षा अभियान था, माध्यमिक शिक्षा अभियान था और टीचर एजुकेशन था, तीन अलग-अलग नाम थे। प्री स्कूल से 12वीं तक को एक साथ देखने के लिए 'समग्र शिक्षा' किया है। मुझे इसकी 4-5 विशेषताएं निश्चित बतानी हैं, एक तो तीनों स्कीम्स को मिलाकर इसका बजट पिछले साल 28 हजार करोड़ रुपये था, इस साल 'समग्र शिक्षा' का बजट 20 परसेंट बढ़कर 34 हजार करोड़ रुपए हुआ है और अगले साल 20 परसेंट और बढ़कर 41 हजार करोड़ रुपये होगा। बजट में इन्फ्रीज हुआ है, यह बड़ी बात है।

दूसरी बात यह है कि पहली दफा 'पढ़े भारत, बढ़े भारत' में सभी 11 लाख सरकारी स्कूलों में हर साल 10 हजार रुपये से 20 हजार रुपये लायब्रेरी ग्रांट दी जाएगी और हर स्कूल में लायब्रेरी होगी।

तीसरी बात यह कि इसमें जो विशेषता है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय-मार्जनलाइज सेक्शन की छात्रा, जिनके यहां स्कूल नहीं हैं - उन स्कूलों में छठी से आठवीं तक हॉस्टल ऐकमोडेशन था, ऐसे 3,700 हॉस्टल्स हैं, हम उनका उन्नयन करके इन्हें बारहवीं तक करेंगे, ताकि बेटी पढ़े, बेटी बढ़े। 12वीं तक बेटी पढ़े, इसके लिए अनइन्टरप्टेड एजुकेशन हो, इसके लिए जो हॉस्टल्स आठवीं तक थे, उन्हें अब 12वीं तक बढ़ा रहे हैं। हम उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे।

चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर स्कूल में छात्रों को खेलना चाहिए। आज छात्र खेल नहीं रहे हैं। उनके खेलने के लिए 11 लाख सरकारी स्कूलों को हर साल साइज के अनुसार 5 हजार रुपये से लेकर 20 हजार रुपये तक खेल की ग्रांट दी जाएगी। जो कम्पोजिट ग्रांट 14 हजार रुपये होती थी, वह 25 हजार रुपये की गई है और जहां 50 हजार रुपये थे, वहां 1 लाख रुपये किए गए हैं। अब स्कूल में बिजली नहीं है या अन्य चीजें नहीं हैं, वह नहीं होगा, क्योंकि बिल भरने के लिए हम पैसे दे रहे हैं।

टीचर एजुकेशन में पहले से जोर नहीं था और आज SCERT DIET ज़ीरो अवस्था में है। इनको पुनर्जीवित करने के लिए हम उनको सारा पैसा देंगे। हमें राज्यों में उसको ठीक तरह से चलाना है, ताकि शिक्षकों का प्रशिक्षण भी ठीक तरीके से हो हमारी यह मंशा है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) *in the Chair*]

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, my second supplementary is this.

[Shri V. Vijayasai Reddy]

The funding pattern between the Centre and the State for all three schemes and the new one is 60:40 for general States and, Sir, you are aware, for Special Category States, it is 90:10. All along, hon. Prime Minister, hon. Finance Minister and hon. Home Minister have, on record, been saying that whatever benefits that are accrued to the Special Category States, as of now, would be extended to the State of Andhra Pradesh also, though it has not been granted a Special Category Status. I would like to know from the hon. Minister for this new scheme, that is, the *Samagra Shiksha Abhiyan* and also for the earlier schemes, whether the ratio is 90:10 or 60:40.

श्री प्रकाश जावडेकर: महोदय, जो पहले से प्रॉमिस किया है, वह वैसे ही होगा। इसलिए मैं साफ करना चाहता हूँ कि इसकी दो अन्य विशेषताएँ हैं। आज दिक्कत यह है कि, अगर किसी जगह पर पांचवीं तक का स्कूल है, तो उसको आठवीं तक अपग्रेड करना है, जो आठवीं का स्कूल है, उसको दसवीं तक अपग्रेड करना है और जो दसवीं तक का स्कूल है, उसको बारहवीं तक अपग्रेड करना है। हम इसमें अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल के लिए भी पैसे दे रहे हैं। अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल, मतलब उसी गांव में उसको शिक्षा मिलेगी, यह बहुत महत्वपूर्ण है।

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Is it 90:10 or 60:40?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I am coming to that. दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है और अभी इसके बारे में चर्चा चली थी, children with special needs, हमने उनके लिए दो नई स्क्रीम्स बनाई हैं। Children with special needs को पढ़ाने वाले की तनखाह बहुत कम होती थी। हम हर छात्र के लिए तीन हजार रुपए देते थे और टीचर्स की सेलेरी का भी उसी में से लेते थे। अब तीन हजार का तीन हजार पांच सौ किया है, उसमें सेलेरी अलग देंगे, सेलेरी छात्रों के हिस्से में से नहीं जाएगी और दो सौ रुपए ग्लर्स स्टूडेंट, जो with स्पेशल नीड्स हैं, उनको हर महीने एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह स्क्रीम पूरी तरह से ऐसी बनाई गई है कि वह इसमें नई बातें हैं। सर्वशिक्षा अभियान को 25 साल हुए हैं, लेकिन 25 साल में वह कार्यक्रम वहीं का वहीं चल रहा था और उसे अब रिवाइज करने की जरूरत थी। आज की जरूरतों को देखते हुए, 'समग्र शिक्षा' को एक व्यापक तरीके से बदलाव करके बनाया गया है और इसका सभी राज्यों ने स्वागत किया है, आंध्र प्रदेश ने भी स्वागत किया है और आंध्र प्रदेश के बारे में जो भी पॉलिसी है, वही पॉलिसी हम अमल में लाएंगे।

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Sir, at the outset, I would like to congratulate the Government for having taken this extremely important decision to treat school education without fragmentation as 'primary' and 'secondary'. But, today, as we see, the municipal corporations or the Governments have *prathamik shiksha* schools and *madhyamik shiksha* schools. And, it is a problem for students to take admissions, for further education, after they pass out the seventh standard, or now, the eighth standard. So, what is the Government doing in this regard? That is where the hurdle is. The schemes have been merged, but what about the admissions to ensure that they finish their education by taking it up to 12th standard?

श्री प्रकाश जावडेकर: महोदय, अभी छात्र पहली से बारहवीं तक जाएं, लड़कियां भी जाएं और लड़के भी जाएं, इसके लिए ही यह स्कीम holistic view में बनाई गई है, इसलिए इसमें administratively कोई दिक्कत नहीं रहेगी। छात्र माध्यमिक में भी जाएंगे, अपर प्राइमरी में जाएंगे, मिडिल में जाएंगे और मिडिल के बाद हायर सेकेन्डरी में जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें ट्रांसपोर्ट एलाउन्स भी दे रहे हैं, जहां स्कूल दूर है या जहां consolidation किया है, इसमें हम हर छात्र के प्रति 6 हजार रुपए सालाना दे रहे हैं। मैं next week में इस स्कीम के बारे में डिटेल्स आपके पास भेजूंगा, क्योंकि इसमें आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है।

श्रीमती कहकशां परवीन: उपसभाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत शुक्रिया। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि वर्दी की जो राशि है, वह 400 से बढ़ाकर 600 रुपए कर दी गई है और किताबों के लिए जो आबंटन किया गया है, वह प्रति बच्चा, जो 250 रुपए है, उसे 400 रुपए कर दिया गया है। एक तरफ हमारी सरकार का नारा है कि 'पढ़े भारत बढ़े भारत', 'बच्चियां पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी'। हम यह सोच रख रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहती हूँ कि इतनी महंगाई बढ़ गई है और महंगाई आसमान छू रही है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि गांव में जो कपड़े की सिलाई होती है, वहां पर दर्जी सलवार और जंपर की सिलाई के लिए लगभग डेढ़ सौ से दो सौ रुपए लेता है। आपने जो 600 रुपए की राशि की है, क्या उससे बच्चों की पोशाक बन पाएगी? कॉन्वेंट स्कूल और सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच में जो फर्क होता है और जो उनके अंदर हम समानता की बात कर रहे हैं, तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि उनके अंदर समानता कैसे आएगी? क्या इसके बारे में आपने कोई योजना बनाई है? मैं मंत्री जी से यह मांग करती हूँ कि जो इन्होंने वर्दी की राशि के आबंटन को बढ़ाकर 600 रुपए किया है, उसको कम से कम 1,000 रुपए किया जाए और जो उन्होंने किताबों के लिए राशि बढ़ाई है, उसे 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपए किया जाए।

श्री प्रकाश जावडेकर: उपसभाध्यक्ष महोदय, जो किताबों का मुद्दा है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि SCERT किताबें छापती हैं, उसके अनुसार वह प्राइस तय करती है, क्योंकि उसे गवर्नमेंट से कागज भी मिलता है, इसीलिए उसका खर्च देखकर NCERT के हिसाब से ही दिया है। इसका सभी राज्यों ने स्वागत किया है। पहले तो 400 रुपए में दो यूनिफॉर्म्स होती थीं, वह पैसा बहुत ही कम था। अब यूनिफॉर्म के टेंडर अच्छे निकल रहे हैं और सबको समय पर यूनिफॉर्म मिलेगी, यह भी देख रहे हैं। हम 600 रुपए दे रहे हैं, लेकिन अपनी ओर से और पैसे राज्य सरकार डाल सकती है।

श्री सुशील कुमार गुप्ता: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि स्कूल के बच्चे की 600 रुपए में पूरे साल के लिए यूनिफॉर्म आना बहुत मुश्किल है। इसके साथ मैं बहन कहकशां परवीन जी की बात का पूरा समर्थन करना चाहूंगा। आपने upgradation of existing schools की बात कही है। भारत सरकार के जो CBSE के माध्यम से स्कूल चलते हैं, उनमें जो लैंड के नियम हैं, उसके विपरीत बहुत से राज्यों में नियम हैं। जैसे एक एकड़ लैंड के अंदर आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल शहरों में चला सकते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर पांच एकड़ लैंड का नियम है। हरियाणा के दो-तीन जिलों में अलग नियम है। मैं उपसभाध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा का प्रसार होना बहुत जरूरी है और संसाधनों के अभाव में बहुत से स्कूल नहीं बन पाते हैं। 12वीं क्लास तक के स्कूल खोलने के लिए पांच एकड़ लैंड की रिकवायरमेंट

[श्री सुशील कुमार गुप्ता]

होती है। इस वजह से वहां पर न तो सरकार स्कूल खोल पा रही है और न प्राइवेट लोग स्कूल खोल पा रहे हैं। आप उस लैंड की रिकवायरमेंट को पूरे हिन्दुस्तान में एक समान फिक्स करवा दें कि इतने एकड़ लैंड के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनेगा, हालांकि सीबीएसई ने यह तय किया हुआ है। परन्तु राज्य सरकारें...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Put your question, please. आप प्रश्न करिए।

श्री सुशील कुमार गुप्ता: सर, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। अगर हम राज्य सरकारों के माध्यम से लैंड के नियम को फिक्स करवा दें, तो यह शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत बढ़िया होगा।

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: It is a suggestion for action.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Okay. Now, next Q. No. 92. The questioner is not present. Are there any supplementaries?

गरीबी-उन्मूलन के संबंध में कार्य योजना

*92. **श्री प्रभात झा:** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 'सतत् विकास संबंधी लक्ष्यों' का एक प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2030 तक संपूर्ण विश्व से गरीबी का उन्मूलन करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र के 'सतत् विकास संबंधी लक्ष्यों' के उद्देश्य के अनुरूप वर्ष 2030 तक भारत से गरीबी का उन्मूलन करने हेतु बनाई गई कार्य-योजना पर भी काम कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कार्य-योजना को कार्यान्वित करने में राज्यों का अपेक्षित सहयोग मिल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सतत् विकास ध्येयों (एसडीजी) के तहत वर्ष 2030 तक संपूर्ण विश्व से चरम गरीबी का उन्मूलन करने के लिए एक स्पष्ट, सर्वव्यापक समझौता शामिल है। 17 एसडीजी और इनसे संबद्ध 169 लक्ष्य हैं जो मानव कल्याण के सभी पहलुओं का समाधान करने तथा विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों का एकीकरण करने का प्रयास करते हैं। एसडीजी 1 स्पष्ट रूप से गरीबी पर केंद्रित है और यह निम्नानुसार है: 'सभी जगह गरीबी का इसके सभी रूप में अंत करना'। एसडीजी 1 के तहत लक्ष्य, अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित पर केंद्रित हैं: सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का कार्यान्वयन करना; आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों, वित्तीय सेवाओं और उचित प्रौद्योगिकी के संबंध में सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना; गरीबी का अंत करने के लिए